

## बांड

निम्नलिखित दस्तावेजों के माध्यम से विदित हो कि केंद्र / .....राज्य सरकार के.....  
.....अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक परिसंघ.....  
(आगे इन्हें आवेदक कहा जाएगा).....जिसका कार्यालय.....राज्य / .....  
केंद्रशासित प्रदेश में है और

1. श्री.....सुपुत्र श्री....., निवासी.....  
.....और 2. श्री.....  
.....सुपुत्र श्री....., निवासी.....(आगे  
इन्हें जमानतदाता कहा जाएगा) एतद्वारा.....रु. (..... रु. मात्र) की  
राशि के मामले में भारत के माननीय राष्ट्रपति, आगे इन्हें अनुदानकर्ता कहा जाएगा के प्रति वचनबद्ध हैं और इस संदर्भ में  
उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा कथित राशि की प्राप्ति की तिथि से लागू 6 प्रतिशत, छह प्रतिशत/वर्ष ब्याज समेत पूरी  
राशि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत को वापस करने के प्रति वचनबद्ध है।

दिनांक..... दिन..... वर्ष दो हजार.....को  
हस्ताक्षरित

आवेदक के आवेदन पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत ने दिनांक .....को लिखित अपने पत्र सं.....  
..... जिसे आगे स्वीकृति पत्र कहा जाएगा (और इन दस्तावेजों का अभिन्न हिस्सा होगा और जिसकी  
प्रति परिशिष्ट की तरह उनके साथ संलग्न होगी) के माध्यम से आवेदक के नाम .....उद्देश्य से..  
.....रु. (.....रु. मात्र) का अनुदान देने की सहमति दी है। और आवेदक को भुगतान भी  
किया जा चुका है। (जिसकी प्राप्ति की स्वीकृति आवेदक ने दी है)। इस उद्देश्य से आवेदक ने दो जमानतियों के साथ एक  
बांड बनाया है, जिसमें उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का पूरा ध्यान रखा गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदक ने इसके लिए  
आवेदन किया और जमानतियों ने अपनी सहमति दी है।

उक्त शपथ-पत्र की यह भी एक शर्त है कि यदि आवेदक अनुदान पत्र में लिखित सभी शर्तों का विधिवत् अनुपालन करता  
है। तो यह बांड या शपथ-पत्र निरर्थक एवं निष्प्रभावी हो जाएगा, अन्यथा यह शब्दशः प्रभावी रहेगा।

ये दस्तावेज निम्नलिखित तथ्यों के भी साक्ष्य हैं कि

क राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के अध्यक्ष या प्रशासनिक रूप से संबद्ध न्यास के प्रशासनिक प्रमुख का निर्णय इस विषय  
में मान्य होगा कि स्वीकृति-पत्र में

उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का आवेदक द्वारा किसी प्रकार उल्लंघन हुआ है। या नहीं और यही निर्णय अंतिम एवं  
आवेदक के लिए मान्य होगा।

ख इस अंतर्गत जमानती का उत्तरदायित्व इस वजह से बाधित या समाप्त नहीं होगा कि सरकार द्वारा दिया गया समय बीत  
गया या आवेदक द्वारा पूरा किए जाने वाले किसी दायित्व या शर्त के संबंध में जमानती को जानकारी दिए बिना या  
उसकी सहमति के बिना अनुदानकर्ता या उसकी ओर से कोई स्थगन, किया या नजरअंदाज किया गया या इस  
प्रावधान से संबद्ध जमानती से संबद्ध किसी कानून के तहत किसी मामले या विषय की वजह से कथित जमानतियों को

इस दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता, और न अनुदानकर्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह जमानती से पहले आवेदक पर मुकदमा करे या बकाया राशि के लिए दोनों पर मुकदमा करे।

ग. आवेदक इससे सहमत है और ट्रस्ट को वह सभी आर्थिक और/या अन्य लाभ का मौद्रिक मूल्य वापस करने/भुगतान करने का वचन देता है जो यह अनुदान के अनधिकृत उपयोग ;जैसे परिसर को पर्याप्त या अपर्याप्त किराये पर लगाने या अनुदान के उद्देश्य से पृथक परिसर के उपयोग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकता है/ प्राप्त कर चुका है। या मोटे तौर पर अनुदान की राशि से परिसंपत्ति/भवन बनवाया गया/मरम्मती करवाई गई। ट्रस्ट को वापस/भुगतान किए जाने वाले मौद्रिक मूल्य के संबंध में नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के अध्यक्ष या इस मामले से प्रशासनिक रूप से संबद्ध ट्रस्ट के प्रशासनिक प्रमुख का निर्णय अंतिम आवेदक के लिए मान्य होगा।

घ स्वीकृति-पत्र में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों की अवमानना या उल्लंघन की स्थिति में आवेदक या जमानती को ट्रस्ट द्वारा मांगे जाने पर बिना किसी विलंब के पूरी राशि .....रु.(.....रु. मात्र) ट्रस्ट को वापस करनी होगी और ट्रस्ट, को वापस/भुगतान किए जाने वाले मौद्रिक मूल्य के संबंध में नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया का निर्णय अंतिम और आवेदक के लिए मान्य होगा।

ङ अनुमोदन पत्र में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों की अवमानना या उल्लंघन की स्थिति में आवेदक या जमानतियों को ट्रस्ट द्वारा मांगे जाने पर बिना किसी विलंब की पूरी राशि..... रु. (.....रु. मात्र) ट्रस्ट द्वारा मांगी गई राशि आवेदक को वापस करनी होगी जिस पर वापसी की तिथि तक कथित राशि की प्राप्ति की तिथि से लागू 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी ट्रस्ट को देना होगा।

च यदि इन प्रस्तुतियों पर कोई स्टाम्प ड्यूटी लगे तो ट्रस्ट उसका खर्च वहन करने को सहमत है।

निम्नलिखित गवाहों के समक्ष आवेदक एवं जमानतियों की ओर से उक्त दस्तावेजों दिनांक.....एवं वर्ष को लिखे गए और नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के लिए और उनकी ओर से श्री/श्रीमती.....(पदनाम) द्वारा उनके हस्ताक्षर के साथ आंकित तिथि एवं वर्ष को स्वीकार किए गए।

.....(आवेदक का नाम एवं पदनाम) द्वारा.....

.....के लिए और उसकी ओर से.....को हस्ताक्षरित।

जमानती .....(हस्ताक्षर)

गवाह (हस्ताक्षर)

1. श्री .....

1. श्री .....

पता.....  
.....

पता .....  
.....

दूरभाष नं. ....

दूरभाष नं.....

ई-मेल .....

ई-मेल .....

2. श्री .....

2. श्री.....

पता.....  
.....

पता .....  
.....

दूरभाष नं. ....

दूरभाष नं.....

ई-मेल .....

ई-मेल .....

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के लिए और उसकी ओर से स्वीकार किया गया नई दिल्ली

हस्ताक्षर.....

नाम.....

दिनांक

## प्रस्ताव

संख्या..... दिनांक.....

.....के शासी निकाय/प्रबंधन समिति द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि:

क: (संगठन का नाम).....

द्वारा (कार्यक्रम का नाम जिसके लिए अनुदान अनुमोदित है).....

.....का आयोजन किया जाएगा जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया ने दिनांक.....को अपने पत्रांक (अनुमोदन पत्र संख्या एवं तिथि) द्वारा अनुमोदित कर दिया है।

ख.....के अध्यक्ष/सचिव श्री/श्रीमती.....

.....को .....रु .....से संबद्ध बांड बनाने और हस्ताक्षर करने का अधिकार दे दिया है। और

ग ..... स्वीकृति-पत्र में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों, जो परिशिष्ट 2 में दिए गए हैं। का पालन करेगा।

यह प्रस्ताव एतद्द्वारा निर्विवाद रूप से पारित किया जाता है।

सचिव का हस्ताक्षर

मुहर सहित

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

मुहर सहित

## पूर्व पावती

दिनांक .....के ट्रस्ट के स्वीकृति-पत्र संख्या.....  
.....के अनुदान नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, भारत के सक्षम अधिकारी (सहायता अनुदान).....  
.....रु (रु. मात्र) का दिनांक.....को जारी चेक/ड्राफ्ट (सं.....  
.....) प्राप्त किया।

रसीदी टिकट

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

कार्यालय की मुहर.....

**नोट :** यह पूर्व पावती संबद्ध संगठन/संस्थान/विश्वविद्यालय के लेटरहेड पर दिया जाना चाहिए। इस पर सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम के साथ-साथ कार्यालय की मुहर और रसीदी टिकट लगा हो।

## बांड, प्रस्ताव एवं पूर्व पावती तैयार करने हेतु सूची

### बांड

1. जमानतियों से संबद्ध कॉलम ;हस्ताक्षर, नाम एवं पताद्ध
2. गवाहों से संबद्ध कॉलम ;हस्ताक्षर, नाम एवं पताद्ध
3. बांड बनाने की तिथि
4. विश्वविद्यालय /संगठन /संस्थान के लिए और उसकी ओर से कुलसचिव /सक्षम अधिकारी

का हस्ताक्षर

## वचनबद्ध

हम ये सुनिश्चित करने का वचन देते हैं कि

(1) केंद्र/राज्य सरकार के अन्य किसी भी प्राधिकार से आर्थिक-अनुदान प्राप्त नहीं किया गया अथवा इस संगठन द्वारा किसी भी प्राधिकार से इसी प्रयोजन हेतु किसी भी अनुदान अथवा सहायता के लिए आवेदन नहीं किया गया है ।

(2) अनुदान स्वीकृति प्रयोजन/उद्देश्य हेतु ही उपयोग में लाया जाएगा । ऐसा करने में विफल होने पर उत्तरदायी संगठन को आर्थिक-अनुदान की राशि न्यास द्वारा तय की गई ब्याज राशि सहित वापस लौटानी होगी ।

सचिव के हस्ताक्षर

रबड़ मोहर सहित

अध्यक्ष के हस्ताक्षर

रबड़ मोहर सहित

स्थान :

दिनांक :

## प्रस्ताव

1. विश्वविद्यालय/संगठन/संस्थान का नाम
2. कार्यक्रम का नाम जिसके लिए सहायता-अनुदान चाहिए।
3. कुलसचिव/और अन्य सक्षम अधिकारी या अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर
4. पूर्व पावती पर कुलसचिव/और अन्य सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर हो, रसीदी टिकट एवं कार्यालय की मुहर भी लगी हो।